नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख को जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	27.9.2019	वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस समाअत की गई। वकील प्रार्थी श्री पुरखाराम महिया ने निवेदन किया कि दिनांक 13.1.2017 को जारी आदेश को रिव्यू किया जाकर प्रार्थी के खेत वाके रोही रायसर के खसरा नम्बर 887/753 रकबा 3.4750 हैक्टेयर भूमि में से 0.2240 हैक्टेयर भूमि जो आथूणी सींव पर रास्ते के रूप में कटी गई है को प्रार्थी के राजस्व नक्शा में कायम किये रास्ता को हटाया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की खातेदारी में पुनः दर्ज की जावे। प्रार्थी के खेत में जो ग्रेवल बनी हुई है उसकी तरमीम गैर मुमकिन रास्ते के रूप में की जावे। जिसके समर्थन में नजीरात आरआरटी 2016–17 पृष्ठ सं. 663–665, आरआरटी 2018 (2) पृष्ठ सं. 884–886, आरआरटी 2013 (2) पृष्ठ सं. 1306–1310 प्रस्तुत की। प्रार्थी श्री पूर्णाराम पुत्र चतराराम जरिये अधिवक्ता श्री टीकमसिंह राठौड़ ने प्रार्थना पत्र अ. आ.1 नियम 10 सी.पी.सी के मार्फत निवेदन किया कि इस वादगत भूमि खसरा नम्बर 887/753 रकबा 3.4750 हैक्टेयर में से पीढ़ियो से चले आ रहे पुराने मार्ग को राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 13.1.2017 को आप श्रीमान जी द्वारा रास्ता कायम किया गया है। आदेशो की पालना में नामांतकरण से गैर मुमकिन रास्ता का नया खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में कायम कर अंकन किया जा चुका है। पीढियों से चले आ रहे रास्ता वादी के खेत की आथूणी सींव सींव चले आ रहे रास्ता जिसके हाल खसरा नम्बर 1050/887 का उपयोग रास्ता के रूप में करता आ रहा है तथा वादी येन केन उक्त रास्ता का श्रीमान की अदालत में जरिए वादपत्र व राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा उक्त रास्ते को बन्द करने व अन्यत्र रास्ता को सिफ्ट करने की फिराक में है। जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे साथ ही निवेदन किया कि इस वादगत भूमि में रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिनांक 13.1.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील सं. 48/2018 दिनांक 9.7.2018 प्रस्तुत कर रखी है। जो वर्तमान में जैरकार है। माननीय न्यायालय में अपील जैरकार होते हुवे भी रिक्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, एवं रिव्यु प्रार्थना मियाद से बाहर है, तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। हमने वकुलाय फरीकैन की बहस के तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरात का सम्मान पूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। पत्रावली, पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजता आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया जिससे निर्णय दिनांक 13.1.2017 में तहसीलदार, नोखा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। जो इस रिव्यु प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्व रिकार्ड से रास्ता को हटाये जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा अब पारित नहीं किया जा सकता, क्योकिं निर्णय में ऐसा कुछ नहीं है जो यह परिलक्षित करता है कि रास्ता दर्ज किये जाने की त्रुटि रिकार्ड के आमुख पर परिलक्षित हो रही हो । रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार किया गया है, तथा जिसे यदि हटाया जाऐगा तो अन्य काश्तकारों को असुविधा होगी। अन्य पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील सं. 48/2018 दायर कर रखी है, जो प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.1.2017 को चुनौती देने के मकसद से ही की गई है। अतः इस न्यायालय द्वारा रिव्यु के माध्यम से अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र खारित किया जाता है। प्रार्थी श्री पूर्णाराम पुत्र चतराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 जाब्ता दिवानी पेश की गई है। जिसे रिव्यु प्रार्थना पत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी श्री पूर्णाराम पुत्र चतराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 जाब्ता दिवानी को भी खारिज की जाती है। इस पत्रावली में वादगत भूमि बाबत पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निष्प्रभावी समझी जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया। 27/9/19 उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)	

Scanned by CamScanner